उत्तरांचल शासन
समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग
संख्या: 383–सै.क.–02–53(सै.क.)/2002
देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके विद्यमान आदेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल के जरूरत मंद दीन–दुखी पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित पात्रों की गुजर बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली" निम्नवत् बनाते है:–

उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली–2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 यह नियमावली उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि नियमावली 2002 कही जायेगी।

2 यह नियमावली तुरन्त प्रवत्त होगी।

संक्षिप्त विवरण:–

प्रत्येक वर्ष में सैनिक झण्डा दिवस पर एकत्रित धन का "उत्तरांचल सैनिक झण्डा दिवस निधि" में निवेश समय–समय पर किया जायेगा। उत्तरांचल सैनिक झण्डा निधि से धनराशि का "उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि" में हस्तान्तरित किया जायेगा।

परिभाषाए

(अ) "निधि" का तात्पर्य "उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि" से है।
(ब) "जिला सैनिक कल्याण" का तात्पर्य जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास [illegible]
(स) "पूर्व सैनिक" का तात्पर्य उत्तरांचल के उस व्यक्ति से है जो भारत [illegible] की सेना में रहे हों तथा जो पूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों।
(द) "आश्रित" का तात्पर्य पत्नी/पति (जो पुनर्विवाहित नहीं हो) [illegible] बेरोजगार पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता–पिता जो पूर्ण रूप से पूर्व सैनिक पर आश्रित [illegible] अविवाहित या 25 वर्ष से कम आयु का भाई जो पूर्ण रूप से पूर्व सैनिक पर आश्रित हो।
(य) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल [illegible]
(र) "राज्य सैनिक परिषद" का तात्पर्य निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल [illegible]
(ल) "जिला सैनिक परिषद" का तात्पर्य जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास [illegible] से है।

निधि का उद्देश्य

इस निधि का मुख्य उद्देश्य जरूरत मंद दीन दुखी पूर्व सैनिकों उनके आश्रित [illegible] की गुजर बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस निधि [illegible] पूर्व सैनिकों के अन्य कल्याणकारी में होने वाले आवश्यक [illegible] हेतु धन [illegible] करना है।

5. राज्य सैनिक परिषद स्तर पर समिति का गठनः–

राज्य सैनिक परिषद उत्तरांचल के स्तर पर इस निधि के सुसंचालन एवं उद्देश्य हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार होगाः

अध्यक्ष	–	माननीय मुख्य मंत्री, उत्तरांचल
उपाध्यक्ष	–	माननीय मंत्री सैनिक कल्याण, उत्तरांचल
सदस्य	–	सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तरांचल शासन
सदस्य सचिव	–	निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल
गैर सरकारी सदस्य	–	एक पूर्व सैनिक अधिकारी होगें जिसे अध्यक्ष उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि द्वारा नामित किया जायेगा और जिसका कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष का होगा।

जिला स्तर पर समिति का गठनः–

प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर एक पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति का गठन किया जायेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होगें:

अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
सदस्य सचिव	–	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
गैर सरकारी सदस्य	–	एक पूर्व सैनिक होगा जिसे अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा और जिसका कार्यकाल अधिकतम [illegible] वर्ष का होगा।

निधि के आय के स्रोतः–

"सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि" में एकत्रित धनराशि इस निधि की आय का स्रोत होगा।

प्रतिवर्ष जिलों द्वारा झण्डा दिवस पर एकत्रित धन का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(1)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	–	30 प्रतिशत
(2)	निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	–	70 प्रतिशत
(3)	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली	–	को जिलों से निदेशालय सैनिक कल्याण

एवं पुनर्वास द्वारा प्राप्त 70 प्रतिशत भाग में से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के पत्र संख्याः 135/4/2002/केएसबी/डी दिनांक [illegible] अगस्त, 2002 के [illegible] की वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक पैसे प्रति नागरिक के हिसाब से निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को दिया जायेगा।

झण्डा दिवस पर सरकार, जनता तथा विभागों से प्राप्त धनराशि में से [illegible] प्रतिशत कन्टीजेन्सी [illegible] खर्चे के अतिरिक्त शेष धनराशि को उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि में सम्मिलित किया जायेगा।

अंशदान जो भारत सरकार तथा उत्तरांचल सरकार से प्राप्त हो तथा [illegible] सैनिक झण्डा दिवस निधि तथा उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि विनियोजित धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को इस निधि में जमा की जायेगी।

11. अनुदान हेतु वरीयता:–

(अ) दीन–दुखी पूर्व सैनिक, विधवा एवं उनके आश्रित
(ब) दीन–दुखी विकलांग पूर्व सैनिक
(स) 65 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिक जो अपनी आजीविका स्वयं नहीं चला सकते तथा जिन्हें उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहायता नहीं दी जाती है।
(द) कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, रक्तचाप तथा कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त पूर्व सैनिक अपने उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।
(य) पूर्व सैनिक के स्वयं के उपचार तथा उनके आश्रितों के उपचार हेतु यदि वे किसी सैनिक तथा असैनिक चिकित्सालयों में दाखिल हों तथा वे अन्य स्रोतो से उनके उपचार का व्यय वहन करने में असमर्थ हो तथा चिकित्सको की राय में उपचार सामग्री आवश्यक हो।

12. इस निधि के प्रस्तर 11 में दिये गये वरीयता के आधार पर निम्नलिखित मदों मे वित्तीय सहायता हेतु तथा निम्न प्रकीर्ण मदों में व्यय किया जायेगा:

(अ) जिलों से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के आधार पर राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वीकृत धनराशि का वित्तीय सहायता के रूप में भुगतान।
(ब) इस नियमावली के प्रस्तर 11 के अनुसार आकस्मिक अनुदान(स्पाटग्रान्ट) का भुगतान।
(स) पूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यो हेतु निदेशक सैनिक कल्याण की संस्तुति पर अध्यक्ष दातव्य निधि की सहमति से व्यय किया जायेगा।
(द) पूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यो हेतु निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी माह में रूपये 500 तथा सम्पूर्ण वर्ष में रूपये 2000 की धनराशि को [illegible] मदो के अतिरिक्त हो को इस मद से अपने विवेकानुसार व्यय कर सकते है।
(य) यदि कोई पूर्व सैनिक अथवा विधवा जिसका निधन हो गया हो और आर्थिक स्थिति से अत्यन्त दीन हो, उसके अन्त्येष्ठि क्रिया हेतु आर्थिक सहायता उसके वारिस को इस निधि से दी जायेगी। यह सहायता उस मृतक के उस वर्ष मे मिली वित्तीय सहायता तथा आकस्मिक अनुदान, यदि कुछ मिला हो तो उसके अतिरिक्त होगी। इस मद से निदेशक सैनिक कल्याण रूपये 1000 तथा जिलाधिकारी रूपये 1000 तक की धनराशि अपने विवेकानुसार स्वीकृत कर सकते है।
(र) पूर्व सैनिक दातव्य निधि से आर्थिक सहायता हेतु पूर्व सैनिकों द्वारा जिलों [illegible] के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्रों की छानबीन, जाँच तथा विवेकानुसार आगे [illegible] हेतु सैनिक [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] कर सकते है तथा [illegible] का भुगतान इस निधि से कर सकते है।

13. [illegible] समिति का गठन

(अ)	अध्यक्ष	राज्य सैनिक परिषद स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष (माननीय मंत्री जी सैनिक कल्याण इस समिति के अध्यक्ष होंगे जो निधि की प्रबन्ध योजना को क्रियान्वित करेगा।
(ब)	सदस्य सचिव	निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल।
(स)	गैर सरकारी सदस्य	राज्य सैनिक परिषद स्तर पर गठित समिति के गैर सरकारी सदस्य ही इस निधि के गैर सरकारी सदस्य होंगे।

14. सदस्य सचिव इस निधि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगें और निम्न कार्य का संचालन करेंगे

(अ) पूर्व सैनिकों, विधवाओं, एवं उनके आश्रित पात्रों की आकस्मिक अनुदान, वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना–पत्रों की छानबीन तथा अनुदान देय वर्ष में एक बार समिति/[illegible] समिति सचिव की बैठक तथा हर छः माह में गैर सरकारी सदस्यों की बैठक का आयोजित [illegible]

(ब) निधि के खातों के लेखा–जोखा को रखना तथा निधि से भुगतान करना।

(स) निधि के प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार अनुदान का भुगतान करना।

(द) अपने वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत इस नियमावली के अनुसार वित्तीय सहायता तथा आपातिक आकस्मिक अनुदान को मंजूर करना।

15. प्रबन्ध समिति किसी भी राष्ट्रीय बैंकों में "उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि" (उत्तरांचल [illegible] सर्विसमैन बैनीवोलेन्ट फन्ड) के नाम बचत खाता खोला जायेगा। जिला स्तर पर इस निधि [illegible] रख–रखाव व संचालन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। [illegible] भी इस निधि का बचत खाता खोला जा सकता है।

16. राज्य सैनिक परिषद स्तर पर इस निधि का खाता उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि के नाम किसी भी राष्ट्रीय बैंक तथा डाकखाने में खोला जायेगा। निदेशक, सैनिक कल्याण इस निधि [illegible] रख–रखाव एवं संचालन करेंगे। निदेशक सैनिक कल्याण इस निधि की पूर्ण या आंशिक धनराशि [illegible] किसी भी राष्ट्रीय बैंक में नियमावधि(फिक्स डिपोजिट) योजना में समय–समय पर जमा कर सकेंगे।

17. इस निधि में प्राप्त तथा भुगतान किये गये सम्पूर्ण ब्योरों को दर्शाने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक सैनिक कल्याण तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी [illegible] वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना–पत्र जिनमें अनुदान स्वीकृत किया गया हो [illegible] में भुगतान की गयी धनराशि को सम्परीक्षण हेतु रखा जायेगा।

18. इस निधि सम्बन्धी लेखाओं का वार्षिक सम्परीक्षण स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा [illegible] तथा व्यय विवरण रिपोर्ट छमाही, अध्यक्ष दातव्य निधि प्रबन्ध समिति को प्रेषित की जायेगी।

19. रूपये 500 (रूपये पाँच सौ मात्र) से अधिक के भुगतान पर प्राप्ति रसीद में एक रूपये [illegible] टिकट लगाया जायेगा और भुगतान कर्ता अधिकारी द्वारा रसीद का सत्यापन किया जायेगा।

[illegible] निदेशक सैनिक कल्याण यह सुनिश्चित करेंगें कि इस निधि का सही [illegible] है।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी और निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास [illegible] सुसंचालन हेतु जिम्मेदार होंगे और वे इस निधि से वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना पत्रों [illegible] छानबीन करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

गैर सरकारी सदस्यः– पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की [illegible] तथा अनुदान हेतु उनकी सिफारिश करने के जिम्मेदार होंगे और जब समिति की बैठक हो [illegible] बैठक में उपस्थित होंगें।

अहरण वितरण अधिकारीः–

जिला सैनिक कल्याण दातव्य निधि के आहरण एवं वितरण अधिकारी, [illegible] समिति के अध्यक्ष भी है, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय के [illegible]

(ब) निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल इस निधि के आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे। विशेष परिस्थितियों मे निदेशक अपने अधीन किसी अन्य अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकते है। इस निधि का सम्पूर्ण नियंत्रण माननीय मुख्य मंत्री उत्तरांचल जो कि इस निधि के समिति के अध्यक्ष भी है, का होगा।

24. आकस्मिक अनुदान (स्पाट ग्रान्ट):–

इस निधि से आकस्मिक अनुदान निम्न अधिकारियों द्वारा किसी भी एक पूर्व सैनिक अथवा उसके आश्रित्र पात्र को जो इस नियमावली के अनुसार योग्य हों, को एक वर्ष मे केवल एक बार निम्नानुसार स्वीकृत एवं वितरण किया जायेगा–

जिला स्तर पर आकस्मिक अनुदान:–

(अ) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला दातव्य निधि समिति	रूपये 500 प्रति पात्र प्रतिवर्ष
(ब) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सैनिक परिषद दातव्य निधि समिति	रूपये 1000 प्रति पात्र प्रतिवर्ष

राज्य सैनिक परिषद पर आकस्मिक अनुदान:–

(अ) निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास व सदस्य सचिव उत्तरांचल दातव्य निधि समिति	रूपये 1000 प्रति पात्र प्रतिवर्ष
(ब) मा मंत्री सैनिक कल्याण तथा उपाध्यक्ष उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति	रूपये 2000 प्रति पात्र प्रति वर्ष
(स) माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति	कोई सीमा नही

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आकस्मिक अनुदान के स्थल पर तुरन्त भुगतान हेतु [illegible] इस निधि से अपने परिरक्षा मे रखने हेतु प्राधिकृत होंगे।

आकस्मिक अनुदान के स्थल पर तुरन्त भुगतान हेतु निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास [illegible] रूपये 3000 (रूपये तीन हजार मात्र) इस निधि से अग्रिम के रूप मे स्थायी रूप से अपने [illegible] रख सकते है। स्थाई अग्रिम की धनराशि की समय समय पर प्रतिपूर्ति की जायेगी। [illegible] [illegible] द्वारा सम्बन्धित रोकड़ [illegible] खाता मे रखा जायेगा। अग्रिम की धनराशि [illegible] [illegible] नहीं [illegible] जायेगी।

किसी भी वित्तीय वर्ष मे इस निधि से दी जाने वाली आकस्मिक अनुदान एवं वित्तीय सहायता की सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्तर पर

स्वीकर्ता	वित्तीय सहायता	आकस्मिक अनुदान	प्रतिबन्ध
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला	8%	2%	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष मे [illegible] पूर्व वर्ष मे जिला स्तर [illegible]

	पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति			झण्डा दिवस पर जिले द्वारा [illegible] धनराशि के 10% से अधिक न हो
2	जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति	15%	2%	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का इस मद में व्यय पूर्व वर्ष में जिला स्तर पर झण्डा दिवस पर जिले द्वारा एकत्रित धनराशि के 17% से अधिक न हो
निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल स्तर पर				
3	निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल तथा सदस्य सचिव उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति	10%	2%	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय इस मद में पूर्व वर्ष में समस्त जिलों से झण्डा दिवस पर एकत्रित धनराशि जो निदेशालय स्तर पर पूर्व सैनिक दातव्य निधि में जमा की गयी, के 12% से अधिक व्यय नहीं की जायेगी।
4	मा. मंत्री सैनिक कल्याण तथा उपाध्यक्ष उत्तरांचल सैनिक दातव्य निधि समिति	30%	3%	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय इस मद में पूर्व वर्ष में समस्त जिलों से झण्डा दिवस पर एकत्रित धनराशि जो पूर्व सैनिक दातव्य निधि में जमा की गयी, के 33% से अधिक व्यय नहीं की जायेगी।
5	माननीय मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष उत्तरांचल पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति	35%	5%	संपूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय इस मद में पूर्व वर्ष में समस्त जिलों से झण्डा दिवस पर एकत्रित धनराशि जो निदेशालय स्तर पर पूर्व सैनिक दातव्य निधि में जमा की गयी, के 40% से अधिक व्यय नहीं की जायेगी।

28. राज्य सैनिक परिषद या निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास स्तर पर पूर्व वर्ष में समस्त [illegible] झण्डा दिवस पर एकत्रित धनराशि जो कि निदेशालय सैनिक कल्याण के पूर्व सैनिक दातव्य [illegible] जमा की गयी धनराशि से अधिक धनराशि किसी वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं की जायेगी।

29. वित्तीय सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार की प्रक्रिया:– उक्त प्रस्तर 24, 25 व 27 [illegible] आकस्मिक अनुदान व वित्तीय सहायता हेतु जिलों से परिशिष्ट "अ" पर छपे प्रपत्र के अनुसार [illegible] सैनिक परिषद में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की निदेशक, सैनिक कल्याण तथा अध्यक्ष राज्य सैनिक [illegible] पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य जो कि राज्य स्तर पर [illegible] कमेटी के सदस्य भी है द्वारा भली भाँति छानबीन की जायेगी और यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी [illegible] कि वह केवल पात्र अभ्यर्थियों के प्रार्थना–पत्र जो कि इस नियमावली के अनुसार सभी शर्तों [illegible] करते हों पर ही वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

30. इन नियमावली के उक्त प्रस्तर–24, 25 व 27 में दिये गये प्राधिकारियों को यह अधिकार होगा [illegible] उनको उक्त प्रस्तर 24, 25 व 27 में निर्धारित वित्तीय सहायता की सीमाओं के अन्[illegible] जिलों/प्रार्थियों से सीधे प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की स्वीकृति प्रदान कर सकते है। निदेशक सैनिक

कल्याण एवं पुनर्वास यह सुनिश्चित करेगे कि सामान्यतः सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उत्तरांचल का झण्डा दिवस पर धन संग्रह लक्ष्य का अंश भी सम्मिलित हो, की सीमा पूर्व वर्ष में झण्डा दिवस एकत्रित धन की सीमा से अधिक न हो। पात्र अभ्यर्थियों के प्रार्थना–पत्रों की सिफारिश के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रार्थी इस निधि के उस समय लागू सम्पूर्ण नियमों को पूरा करता है और वह योग्य अभ्यर्थी है। समिति की बैठक जब आवश्यक हो की जायेगी।

1. उन पात्रों अभ्यर्थियों के प्रार्थना–पत्र जो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा जिलाधिकारी के वित्तीय सीमा से अधिक के हों उनको जिला पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति अपनी सिफारिश के साथ राज्य सैनिक परिषद पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति को इस नियमावली के परिशिष्ठ 'ब' पर छपे प्रपत्र के अनुसार भेजेगे। राज्य सैनिक परिषद पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति को प्रेषित करने से पूर्व सभी प्रार्थना–पत्र जिला स्तर पर पूर्ण किये जायेगे तथा उन्हें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित तथा जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति किया जायेगा।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्पर्णू वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा सिफारिश पर "राज्य सैनिक परिषद पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति" को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रार्थना–पत्रों की कुल संस्तुति धनराशि सामन्यतः उनके जिले द्वारा पूर्व वर्ष में निदेशालय सैनिक कल्याण को भेजी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि अपरिहार्य कारणों से अधिक है तो विशेष कारणों का स्पष्ट करना होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेगे कि प्रार्थना–पत्रों की वित्तीय सहायता हेतु संस्तुति उक्त प्रस्तर–11 में अंकित वरीयता के आधार पर किया जाय। प्रार्थना–पत्रों की वरीयता के आधार पर सूची के साथ निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल जो कि पूर्व सैनिक दातव्य निधि के समिति के सदस्य सचिव भी है, को प्रेषित की जायेगी ।

प्रार्थना–पत्रों की स्वीकृत धनराशि की सूचना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भेजी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का भुगतान सम्बंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से नियत समय पर किया जायेगा।

जिला सैनिक कल्याण तथा राज्य सैनिक परिषद कोई भी उक्त निधि से किसी पात्र अभ्यर्थी को एक वर्ष में एक बार से अधिक अनुदान स्वीकृत नहीं करेगे।

प्रार्थना पत्रों में आर्थिक सहायता के लिए संस्तुति निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार की जायेगी

	पात्र	अनुदान सीमा
(अ)	सामान्य पूर्व सैनिक, विधवा एवं इनके आश्रित जिन्हें रुपये 2500/- तक मासिक पेंशन मिलती हो या जिन्हें पेंशन नहीं मिलती तथा कोई आय के साधन नहीं है और कहीं सेवारत नहीं है को	रुपये 500 से [illegible] तक
	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक, विधवा तथा उनके आश्रित जिन्हें रु 500/- प्रति मास तक पेंशन प्राप्त हो, को	रुपये [illegible] से [illegible] तक
	पूर्व सैनिक जो किसी घातक बीमारी जैसे कैंसर, टी.बी. आदि से ग्रस्त हो और कोई मुफ्त इलाज न मिल रहा हो, को	रुपये 1000 से 2000 तक
	विधवा/वृद्ध विधवा जिन्हें पेंशन मिलती हो पर आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध न हो, को	रुपये 1000 तक
	विधवा/वृद्ध विधवा जिन्हें किसी प्रकारकी पारिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त हो और न ही कोई उनकी देख रेख करने वाला	रुपये [illegible] से [illegible] तक

	है और वे कहीं सेवारत नहीं है और बच्चे 21 वर्ष की उम्र से कम हों, को	
(र)	शारीरिक रूप से अपाहिज जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा, कोढी आदि पूर्व सैनिक को	रू. 1000 से 2000 तक

36. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/सचिव जिला पूर्व सैनिक दातव्य निधि समिति जिले में दिये गए अनुदान की धनराशि के सही लेखा–जोखा हेतु जिम्मेदार होगें।

37. सैनिक अधिकारी/अवैतनिक सैनिक अधिकारी, पुनर्योजित(सरकारी एवं गैर सरकारी) पूर्व सैनिक और वे पेंशन भोगी सैनिक जिन्हें कम से कम रूपये 2500 प्रतिमाह तथा उससे अधिक पेंशन मिलती हो वे इस निधि से अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रतिबन्धित होगें। ऐसे पूर्व सैनिक आश्रित जिन्हें किसी भी स्रोत से वर्ष में एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त है उन्हें वर्ष में पुनः इस निधि से वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

38. वार्षिक निरीक्षण:– प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला पूर्व सैनिक दातव्य निधि का स्थानीय लेखा विभाग, निधि के वार्षिक सम्परीक्षण के अतिरिक्त सम्पूर्ण लेखा जोखा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास को वार्षिक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक इस निधि के वार्षिक व्यय का परिलेखा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा भेजा जायेगा। राज्य स्तर पर इस निधि का सम्पूर्ण आय–व्यय का लेखा–जोखा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल द्वारा रखा जायेगा और उसका सम्परीक्षण, स्थानीय निधि लेखा परिक्षण द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,
आर. के. धर
सचिव
समाज(सैनिक) कल्याण

संख्या: 383–सै.क–02–53(सै.क.)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
निजी सचिव मा. मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल।
सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली।
निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल देहरादून।
समस्त जिलाधिकारी(अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास), उत्तरांचल।
उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौकली)
अनु सचिव

परिशिष्ट "अ"

जिला स्तर पर उत्तरांचल सोल्जर्स बेनिवोलेन्ट फण्ड से आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम, नं. रैंक और उम्र --
2. यदि भूतपूर्व सैनिक अब जीवित नही है और प्रार्थी उसका कुटुम्बी है तो प्रार्थी का नाम और फौजी से नाता --
3. प्रार्थी का पूरा पता – ग्राम --------------------पो.--------------------
   तहसील ---------------- जिला --------------प्रदेश--------------------
4. पहचान पत्र (आइडेन्टिटी कार्ड) संख्या ---------- दिनांक--------------------
5. यूनिट/रेजीमेन्ट/कोर जहां पर आखिरी मे नौकरी किया हो ----------------------
6. भर्ती की तिथि --
7. सेवानिवृत्त की तिथि --
8. नौकरी का सेवा काल -------------------वर्ष ----------महीना--------------
9. डिसचार्ज का कारण --
10. यदि प्रार्थी सेवाकाल का पेंशन प्राप्त करता हो (हां/नही/)-- --------------------
11. कुल कितनी पेंशन मंजूर की गई रु. ----------- प्रति माह--------------------
    सेवाकाल पेंशन रु.---------------/अपंगता पेंशन रु. -----------प्रति माह
12. प्रार्थी के आश्रितो की संख्या --
    (पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा इनकी उम्र)
13. अनुमानत: वार्षिक आय सभी श्रोतो से --
14. अन्तिम बार प्रार्थी को जो आर्थिक सहायता मिली हो उसकी धनराशि तथा दिनांक जब धनराशि प्राप्त हुई का विवरण ------------------------- --------
15. आर्थिक सहायता मांगने का कारण/तथा अन्य विशेष विचारणीय परिस्थितियां

दिनांक –

प्रार्थी के हस्ताक्षर
(निशानी अंगूठा)

प्रार्थी द्वारा दिये गए उपर्युक्त विवरणो का सत्यापन किया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/विभाग मे सेवारत नही है तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष मे इससे पूर्व कोई अनुदान नही दिया गया है ।

कल्याण कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

जिला सै.क.अ.एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर (रबर मोहर सहित)

परिशिष्ट ''अ'' (क्रमशः)

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की सिफारिश/स्वीकृति

प्रार्थी के उपर्युक्त विवरण का सत्यापन किया जाता है कि------------------------------------
के अनुदान हेतु सिफारिस/स्वीकृति नियमानुसार की जाती है ।

जिला दातव्य निधि के गैर सरकारी
सदस्य के हस्ताक्षर

जि.सै.क. अधिकारी के हस्ताक्षर

जिलाधीश/अध्यक्ष जिला दातव्य निधि समिति की स्वीकृति

रू.------------------के अनुदान की स्वीकृति की जाती है ।

दिनांक ------------------------

(ह.) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला दातव्य निधि कमेटी

परिशिष्ट "ब"

राज्य स्तर पर उत्तरांचल सोल्जर्स बेनिवोलेन्ट फण्ड से आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम, नं. रैंक और उम्र --
2. यदि भूतपूर्व सैनिक अब जीवित नही है और प्रार्थी उसका कुटुम्बी है तो प्रार्थी का नाम और फौजी से नाता --
3. प्रार्थी का पूरा पता - ग्राम --------------------पो.-------------------------- तहसील ---------------- जिला --------------प्रदेश----------------------
4. पहचान पत्र (आइडेन्टिटी कार्ड) संख्या ---------- दिनांक---------------------
5. यूनिट/रेजीमेन्ट/कोर जहां पर आखिरी मे नौकरी किया हो ----------------------
6. भर्ती की तिथि --
7. सेवानिवृत्त की तिथि --
8. नौकरी का सेवा काल -----------------वर्ष ---------महीना--------------
9. डिसचार्ज का कारण --
10. यदि प्रार्थी सेवाकाल का पेंशन प्राप्त करता हो (हां/नही)-----------------------
11. कुल कितनी पेंशन मंजूर की गई रू. ----------- प्रति माह-------------------- सेवाकाल पेंशन रू.-------------/अपंगता पेंशन रू. -----------प्रति माह
12. प्रार्थी के आश्रितो की संख्या -- (पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा इनकी उम्र)
13. अनुमानतः वार्षिक आय सभी श्रोतों से --
14. अन्तिम बार प्रार्थी को जो आर्थिक सहायता मिली हो उसकी धनराशि तथा दिनांक जब धनराशि प्राप्त हुई का विवरण ----------------------------------
15. आर्थिक सहायता मांगने का कारण/तथा अन्य विशेष विचारणीय परिस्थितियां --

दिनांक -

प्रार्थी के हस्ताक्षर
(निशानी अंगूठा)

प्रार्थी द्वारा दिये गए उपर्युक्त विवरणों का सत्यापन किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/विभाग मे सेवारत नहीं है तथा इस वित्तीय वर्ष मे इससे पूर्व कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

कल्याण कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

जिला सै.क.अ.पु. सचिव के
हस्ताक्षर (मय मोहर सहित)

परिशिष्ट "ब" (कमशः)

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की सिफारिश/स्वीकृति

प्रार्थी के उपर्युक्त विवरण का सत्यापन किया जाता है कि-----------------------------------
के अनुदान हेतु सिफारिस/स्वीकृति नियमानुसार की जाती है ।

जिला दातव्य निधि के गैर सरकारी
सदस्य के हस्ताक्षर

जि.सै.क. अधिकारी के हस्ताक्षर

जिलाधीश/अध्यक्ष जिला दातव्य निधि समिति की स्वीकृति

रू.--- के अनुदान की स्वीकृति की जाती है ।

दिनांक ----------------------

(ह.) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला दातव्य निधि समिति

निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की सिफारिश

नियमानुसार रू. ---की वित्तीय सहायतार्थ सिफारिश /स्वीकृति की
जाती है ।

उत्तरांचल के दातव्य निधि के
गैर सरकारी सदस्य के हस्ताक्षर

निदेशक सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास उत्तरांचल सदस्य सचिव
उत्तरांचल दातव्य निधि समिति

मंत्री जी/उपाध्यक्ष उत्तरांचल दातव्य निधि समिति की सिफारिश एवं स्वीकृति

नियमानुसार रू.------------------------------------ के आर्थिक सहायतार्थ/सिफारिश/स्वीकृति की जाती है।

दिनांक -

मंत्री जी/उपाध्यक्ष, उत्तरांचल दातव्य
निधि समिति के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट "ब" (क्रमशः)

मा० मुख्यमंत्रीजी/ अध्यक्ष, उत्तरांचल दातव्य निधि की स्वीकृति

नियमानुसार रू.-------------------------- की आर्थिक सहायतार्थ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक –

(हस्ताक्षर)
माननीय मुख्य मंत्री जी
अध्यक्ष
उत्तरांचल दातव्य निधि